अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	–श्री रूपक शर्मा एड०	
01.04.2025	राजूनायक बनाम मंदिर श्री बांके बिहारी जी महाराज (2025 / 122) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपील प्रस्तुती में हुई देरी को न्यायहित में कण्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 01.10.2024 को बहस सुनी जाकर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किये गये। दिनांक 09.01.2025 को वर्तमान अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष श्री रूपक शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। वर्तमान अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो जवाव प्रस्तुत किया है ना ही स्थगन आदेश के विरूद्ध कोई चाराजोही की है तथा सीधे ही अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है तथा प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं, फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को निर्देशित करना उचित समझते है। **अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब / सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **अजमेर**	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी.ए. सं. 122/2025, जिला अजमेर

2025/122

1. राजू नायक पुत्र नाथूलाल,
2. रोडू नायक पुत्र नाथूलाल,

दोनो निवासी- रेगरान मोहल्ला, पीसांगन रोड़, जिला ब्यावर

अपीलान्टगण

बनाम्

1. मंदिर श्री बांके बिहारी जी महाराज किशनगढ़ जरिये पुजारी निर्मल रतावा पुत्र श्री भगवती प्रसाद, पौत्र दुर्गालाल जी पुजारी, जाति ब्राह्मण, निवासी- पुरानी कोतवाली के पास, तांगा स्टैण्ड, पुराना शहर, किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
2. आयुक्त महोदय नगर परिषद किशनगढ,
3. सचिव महोदय नगर परिषद किशनगढ़,
4. सचिव महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
5. पिंकी पुत्री स्व. प्रेमचन्द, पौत्री स्वर्गीय रेखा,
6. सुनीता पुत्री स्व. प्रेमचन्द, पौत्री स्वर्गीय रेखा,
7. शिवचन्द पुत्र श्री प्रेमचन्द, पौत्र स्वर्गीय रेखा,
8. मनोज पुत्र श्री प्रेमचन्द, पौत्र स्वर्गीय रेखा
9. मनफूल पत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश,
10. ममता पुत्री स्वर्गीय श्री प्रकाश
11. सीमा पुत्री स्वर्गीय प्रकाश,

    सभी जाति रेगरान, निवासीगण- ग्राम रामनेर की ढ़ाणी, तह. व जिला अजमेर
12. मोहन पुत्र स्वर्गीय कालू,
13. उर्मिला पुत्री स्वर्गीय कालू (नाबालिग जरिये संरक्षक मोहनलाल)

    दोनों जाति रेगर, निवासी- अरांई, तह. बिजयनगर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2024 जो राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 85/2024 उनवानी मंदिर श्री बांके बिहारी जी महाराज बनाम् राज्य सरकार में पारित किया गया है।</u>

...2

Scanned with CamScanner